



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236059  
CG-DL-E-27052022-236059

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2273]  
No. 2273]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वस्त्र मंत्रालय

[पीएसयू (सीओपी) अनुभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 मई, 2022

का.आ. 2394(अ).—केंद्र सरकार, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) की धारा 17 की उप-धारा (1), ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 6 की उप-धारा (1), स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1986 (1986 का 30) की धारा 15 की उप-धारा (1) और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (1995 का 39) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव को दिनांक 01.04.2022 से भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्त करती हैं और उस स्थानीय सीमा को परिभाषित करती हैं जिसके अंतर्गत उक्त भुगतान आयुक्त संपूर्ण भारत में उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

[फा.सं.13/1/2018/पीएसयू/(सीओपी)]

गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF TEXTILES****[PSU (CoP) Section]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2022.

**S.O. 2394(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Sick Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1974 (57 of 1974), Sub-Section (1) of Section 6 of the British India corporation Ltd (Acquisition of shares) Act, 1981 (29 of 1981), Sub-Section (1) of Section 15 of the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 (30 of 1986) and Sub-Section (1) of Section 17 of the Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1995 (39 of 1995), the Central Government appoint Shri Rajeev Saxena, Joint Secretary as Commissioner of Payments w.e.f. 01.04.2022 and defines the local limits within which the said Commissioner of Payments shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, as the whole of India.

[F.No 13/1/2018-PSU (CoP)]

GAURAV KUMAR, Economic Advisor